न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 253/2024

अनवान : –

1. सजना पुत्री भागीरथ पत्नी हजारीराम जाति बावरी निवासी नुकेरा तहसील संगरिया।

– प्रार्थीया

बनाम्

1. भागीरथ पुत्र किशनलाल जाति बावरी निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
2. सिलोचना पुत्री भागीरथ जाति बावरी निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
4. उप पंजीयक कार्यालय खुंईया तहसील नोहर।

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता **सायला**
श्री कुलदीप सिंह खुडिया अधिवक्ता गैरसायल

निर्णय दिनांक: 16/09/25

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा बिरकाली बारानी तहसील नोहर के खाता स0 317/269 की कुल 7.6530 हैक्ट भूमि में से 5/22 हिस्सा भूमि गैरसायल स0 1 व रूकमा पत्नी भागीरथ प्रत्येक के नाम एव खाता स0 673/558 की कुल 4.3010 हैक्ट भूमि में से 1/10 हिस्सा भूमि गैरसायल स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

गैरसायल सं. 1 के 2 भाई और थे जिनमें एक भाई मोमनराम था जो छोटी अवस्था में फौत हो गया तथा शान्ति देवी सायला की माता जो मोमन की पूर्व पत्नि थी उसने मोमन के फौत होने पर भागीरथ पुत्र किशनराम प्रतिवादी सं. 1 के साथ करेवा (शादी) कर ली तथा भागीरथ व शान्ति के नुत्फे से सायला तथा भागीरथ व शान्ति ने नुत्फे से सायला उत्पन हुई तथा माता शान्ति के फौत होने पर गैरसायल स. 1 ने रूकमा के साथ करेवा कर लिया तथा उसके नुत्फे से गैरसायल सं. 2 उत्पन हुई इस प्रकार सायला गैरसायल सं. 1 की पुत्री होने से वाद भूमि में 1/3 हिस्सा अर्थात सायला गैरसायलान सं. 1 व 2 के साथ सयुक्ततः ब. हि.ब. की खातेदार काश्तकार है। वाद भूमि हिन्दु मुश्तरका खानदान की जददी जायदाद है तथा उक्त भूमि सायल के दादा किशनाराम की अर्जित भूमि है जिसमें सायला का बाई बर्थ राईट हैं तथा गैरसायल सं. 1 कर्ता खान दान होने से [illegible] के नाम अनुचित तौर से दर्ज करवा लिया तथा गैरसायल सं. 1ने अपनी दूसरी [illegible] से उत्पन सन्तान गैरसायल सं. 2 के नाम रोही मौजा बिरकाली तहसील [illegible] 317/269 की कुल तादादी 37 खसरेजात की 7.6530 हैक्टर भूमि स्थित है जिसमें [illegible]/22 हिस्सा प्रतिवादी [illegible] की दान पत्र दिनांक 26/12/2023 को करवा दिया दोनो खातेजात खाता सं. 317/269 की 3.

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.10.01 10:37:49 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

47863636364 हैक्टर व खाता सं. 673/558 की 0.4301 हैक्टर कुल 3.90873636364 हिस्सा भूमि में गैरसायल सं. 2 को 1/3 हिस्सा, की भूमि के लगभग भूमि दान पत्र द्वारा भूमि दे दी अब वाद भूमि में गैरसायल सं. 2 का कोई हक व हिस्सा शेष नहीं है इसलिए वाद भूमि में गैरसायल सं. 1 के नाम दर्ज भूमि में सायला का 1/2 हिस्सा की खातेदार काश्तकार है गैरसायल सं. 1 का दोनो खातेजात में नाम कलमजन करवाकर सायला गैरसायल सं. 1 के साथ सयुक्ततः ब.हि.ब. दर्ज करवा पाने की अधिकारिणी है सायला उपरोक्त आशयों की घोषणा करापाने की अधिकारिणी है।

वाद भूमि गैरसायल स0 1 ता 2 के नाम अनुचित गलत दर्ज होने से सायला को उसके हक व हिस्सा से महरूम करना चाहते है तथा गैरसायलान उक्त वाद भूमि को रहन, बैय करना चाहते है जिससे सायलान को अपूर्णीय क्षति होगी अतः अप्रार्थीगण के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावें की जब तक वाद का निस्तारण न हो तब तक मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा बिरकाली बारानी तहसील नोहर के खाता स0 317/269 की कुल 7.6530 हैक्ट व खाता स0 673/558 की कुल 4.3010 हैक्ट भूमि में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थीगण उक्त वाद भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

अप्रार्थीगण को तलब किया गया । अप्रार्थी स0 1 ता 2 ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की सायला का उक्त भूमि पर कभी भी कब्जा नही रहा है तथा गैरसायल स0 1 व उसकी पत्नी वृद्ध है अकसर बीमार रहते है व इनके परिवार में कोई भी कमाने वाला नही है गैरसायल स0 1 उक्त भूमि को ठेके पर देता है एवं ठेके की आय से अपना व पत्नी का ईलाज करवाता है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने एवं प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहूंचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत हक अधिकारों की घोषणा मूल दावें के निर्णय में तय होने है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के हक अधिकारों की घोषणा मूल दावे में तय होना है।

प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार उक्त भूमि पूर्व में सायला के पूर्वजों के नाम दर्ज रही है और उनके बाद [illegible] अप्रार्थी संख्या 1 नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है अर्थात विवाद एक ही परिवार के [illegible] है। [illegible]त प्रकरण में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी [illegible] 1955 न्यायालय में विचाराधीन है, वादग्रस्त भूमि को पैतृक, मौरूसी एवं स्वअर्जित सम्प[illegible] होना और पक्षकारों का वादग्रस्त भूमि में हक निर्धारण होना शेष है जो मूल वाद में साक्ष्य उपरान्त ही निर्धारित हो सकेगा और स्पष्टतः

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.10.01 10:37:49 IST
Reason: SelfAttested

विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य है और जहां विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य हो वहां रिकार्डेड खातेदार को भी निषिद्ध किया जा सकता है ताकि भविष्य में वाद बाहुल्यता को रोका जा सकें। अतः न्यायालय के विनम्र अभिमत में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीया के पक्ष में साबित होता है। जब प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीया के पक्ष में सिद्ध होता है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व अप्रार्थी के पक्ष में साबित नही होते है बल्कि प्रार्थीया के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के अवलोकन में प्रार्थना पत्र 212 आरटीएक्ट बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है। अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थीया विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का कन्फर्म किया जाता है कि रोही मौजा बिरकाली बारानी तहसील नोहर के खाता स0 317/269 की कुल 7.6530 हैक्ट भूमि में से 5/22 हिस्सा भूमि एव खाता स0 673/558 की कुल 4.3010 हैक्ट भूमि में से 1/10 हिस्सा भूमि में प्रार्थीया के हक व हिस्से की हद तक न्यायालय हाजा में विचाराधीन वाद का निस्तारण होने तक वादग्रस्त भूमि की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली इस कदर निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 16/09/25 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.10.01 10:37:49 IST
Reason: SelfAttested